



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122025-268105
CG-DL-E-01122025-268105

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5303]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2025/अग्रहायण 7, 1947

No. 5303]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2025/AGRAHAYANA 7, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

का.आ. 5484(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नन्दुरबार जिले में NH-753BE के कि.मी. 36+600 से कि.मी. 59+000 (PKG-II) (शाहदा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्डशोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी, शाहदा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले में NH-753BE के कि.मी. 36+600 से कि.मी. 59+000 (PKG-II) (शाहदा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नंदुरबार		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: शाहदा					
गांव का नाम: बामखेडा त.त.					
1	100	निजी	कृषि	0.315 (हेक्टेयर)	0.315
2	101	निजी	कृषि	0.315 (हेक्टेयर)	0.315
3	103	निजी	कृषि	0.315 (हेक्टेयर)	0.315
4	106	निजी	कृषि	0.315 (हेक्टेयर)	0.315
5	128	निजी	कृषि	0.968 (हेक्टेयर)	0.968
6	129	निजी	कृषि	1.1305 (हेक्टेयर)	1.1305
7	131	निजी	कृषि	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
8	135	निजी	कृषि	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
9	136	निजी	कृषि	0.773 (हेक्टेयर)	0.773
10	140	निजी	कृषि	0.847 (हेक्टेयर)	0.847
11	141	निजी	कृषि	1.2195 (हेक्टेयर)	1.2195
12	178	निजी	कृषि	1.1735 (हेक्टेयर)	1.1735
13	27	निजी	कृषि	0.042 (हेक्टेयर)	0.042
14	3	सरकारी	पड़ीत	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
15	370	निजी	कृषि	0.6625 (हेक्टेयर)	0.6625
16	372	निजी	कृषि	0.7105 (हेक्टेयर)	0.7105
17	374	निजी	कृषि	0.184 (हेक्टेयर)	0.184
18	377	निजी	कृषि	0.042 (हेक्टेयर)	0.042
19	385	निजी	कृषि	0.6545 (हेक्टेयर)	0.6545
20	397	निजी	कृषि	0.4355 (हेक्टेयर)	0.4355
21	398	निजी	कृषि	0.476 (हेक्टेयर)	0.476
22	400	निजी	कृषि	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
23	404	निजी	कृषि	0.2845 (हेक्टेयर)	0.2845
24	408	निजी	कृषि	0.379 (हेक्टेयर)	0.379

25	410	निजी	कृषि	0.2201 (हेक्टेयर)	0.2201
26	413	निजी	कृषि	0.3495 (हेक्टेयर)	0.3495
27	414	निजी	कृषि	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
28	418	निजी	कृषि	0.286 (हेक्टेयर)	0.286
29	421	निजी	कृषि	0.969 (हेक्टेयर)	0.969
30	576	निजी	कृषि	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
31	Road	सरकारी	रोड	1.2085 (हेक्टेयर)	1.2085
32	Road	सरकारी	रोड	0.108 (हेक्टेयर)	0.108
Total					14.5371

[फा. सं NHAI/PIU-JAL/NH753BE/2023-24/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2025

S.O. 5484(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below,

(widening/two lane with paved shoulder/four laning of NH 753BE in the stretch of land from Km. 36+600 to Km. 59+000 (PKG-II) (Shahada) in the district of NANDURBAR in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority (NH 753BE) namely, Sub-Divisional Officer, Shahada in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH753BE in the stretch of land from Km. 36+600 to Km. 59+000 (PKG-II) (Shahada) in the district of NANDURBAR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: NANDURBAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Shahada					
Village: Bamkheda-t-tarhad					
1	100	Private	Agriculture	0.315 (Hectare)	0.315

2	101	Private	Agriculture	0.315 (Hectare)	0.315
3	103	Private	Agriculture	0.315 (Hectare)	0.315
4	106	Private	Agriculture	0.315 (Hectare)	0.315
5	128	Private	Agriculture	0.968 (Hectare)	0.968
6	129	Private	Agriculture	1.1305 (Hectare)	1.1305
7	131	Private	Agriculture	0.11 (Hectare)	0.11
8	135	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
9	136	Private	Agriculture	0.773 (Hectare)	0.773
10	140	Private	Agriculture	0.847 (Hectare)	0.847
11	141	Private	Agriculture	1.2195 (Hectare)	1.2195
12	178	Private	Agriculture	1.1735 (Hectare)	1.1735
13	27	Private	Agriculture	0.042 (Hectare)	0.042
14	3	Government	Barren	0.005 (Hectare)	0.005
15	370	Private	Agriculture	0.6625 (Hectare)	0.6625
16	372	Private	Agriculture	0.7105 (Hectare)	0.7105
17	374	Private	Agriculture	0.184 (Hectare)	0.184
18	377	Private	Agriculture	0.042 (Hectare)	0.042
19	385	Private	Agriculture	0.6545 (Hectare)	0.6545
20	397	Private	Agriculture	0.4355 (Hectare)	0.4355
21	398	Private	Agriculture	0.476 (Hectare)	0.476
22	400	Private	Agriculture	0.024 (Hectare)	0.024
23	404	Private	Agriculture	0.2845 (Hectare)	0.2845
24	408	Private	Agriculture	0.379 (Hectare)	0.379
25	410	Private	Agriculture	0.2201 (Hectare)	0.2201
26	413	Private	Agriculture	0.3495 (Hectare)	0.3495
27	414	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
28	418	Private	Agriculture	0.286 (Hectare)	0.286
29	421	Private	Agriculture	0.969 (Hectare)	0.969
30	576	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
31	Road	Government	Road	1.2085 (Hectare)	1.2085
32	Road	Government	Road	0.108 (Hectare)	0.108
Total					14.5371

[F. No NHAI/PIU-JAL/NH753BE/2023-24/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director